पत्रांक–9A / डिजिटाईजेशन(जमाबंदी अनलॉक)–02–01 / 2024–   (9A) / रा0,

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

प्रेषक,

राकेश कुमार भा0प्र0से0,
निदेशक, चकबंदी।

ई–मेल   **सेवा में,**

सभी समाहर्त्ता,
बिहार।

पटना–15, दिनांक–............................

विषय :– डिजिटाईजेशन के क्रम में लॉक जमाबंदी को अनलॉक करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय पत्रांक–1137(9), दिनांक–11.05.2023 तथा पत्रांक–3297(9), दिनांक–11.12.2024 द्वारा डिजिटाईज्ड जमाबंदी की वैधता की जाँच भूमि सुधार उप समाहर्त्ता द्वारा करते हुये, ऐसी जमाबंदी को सॉफ्टवेयर Module के माध्यम से लॉक या अनलॉक करने की कार्रवाई किये जाने का निदेश एवं प्रक्रिया संसूचित की गयी है।

विभागीय स्तर पर समीक्षा में यह पाया गया कि विगत वर्षो से यह अभियान जारी रहने के बाद भी प्रक्रिया लंबित है तथा सही ढंग से जमाबंदी की वैधता की जाँच एवं लॉक / अनलॉक की कार्रवाई नहीं की जा रही है। साथ ही, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता द्वारा विभागीय बैठक में बताया गया कि रैयती भूमि के जमाबंदी के सृजन के आधार का साक्ष्य अंचल कार्यालय से मिलने में कठिनाई हो रही है।

उपरोक्त स्थिति को देखते हुये विभाग ने विमर्शोपरान्त निर्णय लिया है कि पूर्व के प्रासंगिक पत्रों को निरस्त करते हुये, जमाबंदी की वैधता की जाँच एवं लॉक / अनलॉक करने की शक्ति अंचल अधिकारी में निहित की जाती है। लॉक / अनलॉक करने की प्रक्रिया निम्नवत् होगी:–

1. लॉक जमाबंदी में सरकारी भूमि सन्निहित होने पर अभिलेख का संधारण करते हुये अंचलाधिकारी जाँच करेंगे। जाँचोपरान्त सरकारी भूमि की जमाबंदी पाये जाने की स्थिति में सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करते हुए गलत जमाबंदी पाये जाने पर जमाबंदी रद्दीकरण की कार्रवाई करेंगे। अन्य स्थिति में जमाबंदी अनलॉक करने की कार्रवाई करेंगे। दोनों मामलों में अंचल अधिकारी के द्वारा आत्मभारित आदेश पारित किया जाएगा। इस आदेश को उस जमाबंदी के साथ अपलोड किया जाएगा।
2. जाँच के क्रम में सरकारी भूमि से अलग स्वरूप / रैयती भूमि पाये जाने पर जमाबंदी को अनलॉक करने की कार्रवाई की जायेगी।

अतएव निदेशानुसार अनुरोध है कि विषयांकित मामले में एतद्नुसार सभी अंचल अधिकारी को आवश्यक कार्रवाई करने हेतु अपने स्तर से निदेशित करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,

ह0 / –
(राकेश कुमार)
निदेशक, चकबंदी।

ज्ञापांक–9A/डिजिटाईजेशन(जमाबंदी अनलॉक)–02–01/2024– (9A)/रा0, पटना–15, दिनांक–

प्रतिलिपिः–सभी अपर समाहर्त्ता/भूमि सुधार उप समाहर्त्ता/सभी अंचल अधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ई–मेल

ह0/–
(राकेश कुमार)
निदेशक, चकबंदी।

ज्ञापांक–9A/डिजिटाईजेशन(जमाबंदी अनलॉक)–02–01/2024–163 (9A)/रा0, पटना–15, दिनांक–15/01/25

प्रतिलिपिः– आई0टी0 मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।

15/01/2025

(राकेश कुमार)
निदेशक, चकबंदी।